LSD / महत्वपूर्ण

संख्या–1787 / सैंतीस–2–2022

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया एवं इटावा,
उ0प्र0।

2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 10 सितम्बर, 2022

विषय– लम्पी स्किन डिजीज प्रभावित जनपदों से अन्य जनपदों में बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु इम्यून जोन बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सीमावर्ती राज्यों राजस्थान, हरियाणा आदि से प्रदेश के पश्चिमी 24 जनपदों में Lumpy Skin Disease (LSD) का गोवंश में संक्रमण हुआ है। इस रोग से अभी तक प्रदेश के 2,519 ग्रामों में 23,269 पशु प्रभावित हुये हैं। यह एक विषाणुजनित रोग है। इसका प्रसार प्रभावित पशुओं से वेक्टर आदि के माध्यम से अन्य पशुओं में होता है। LSD संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा उपचार हेतु भारत सरकार के पशुपालन एवं दुग्धशाला विभाग द्वारा निर्गत गाइडलाइन के क्रम में पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 23.08.2022 विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– शासनादेश दिनांक–07.09.2022 द्वारा LSD के संक्रमण को पश्चिमॉचल में सीमित रखने एवं प्रदेश के मध्य क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र के जनपदों में बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु पश्चिमॉचल के प्रभावित जनपदों के मध्य क्षेत्र से लगी हुई सीमा पर सघन टीकाकरण अभियान चलाते हुए 10 किलो मीटर का इन्यून जोन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में बुन्देलखण्ड का जनपद जालौन भी LSD प्रभावित हो गया है। प्रदेश के अन्य जनपदों में LSD संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा जनपद इटावा से कानपुर नगर तक के जनपदों में द्वितीय इम्यून जोन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(1) इम्यून जोन के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर के 02 विकास खण्ड, जनपद कानपुर देहात के 03 विकास खण्ड, जनपद औरैया के 02 विकास खण्ड एवं जनपद इटावा के 02 विकास खण्डों (जनपद के 05 विकास खण्ड पूर्व से इम्यून जोन–1 में सम्मिलित हैं) को आच्छादित करते हुए 10 कि0मी0 की एक चौड़ी पट्टी तैयार किया जाना

(2) उक्त पट्टी के 661 ग्राम पंचायतों में 1,66,088 गोवंशीय पशुओं में गोट पाक्स टीकाकरण अगले एक सप्ताह में किया जाना

(3) टीकाकरण को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु जनपद के चिन्हित ब्लाकों में टारगेटेड गोवंश की संख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में टीमें गठित कर टीकाकरण का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना

(4) प्रत्येक टीम प्रतिदिन कम से कम 200 गोवंश का टीकाकरण सुनिश्चित करेगी इस प्रकार प्रस्तावित इम्यून बेल्ट में 1,66,088 गोवंश को एक सप्ताह में टीकाकरण से अच्छादन हेतु 118 टीमों का गठन किया जाना

(5) टीकाकरण के दौरान वैक्सीन के परिरक्षण हेतु पर्याप्त कोल्ड चेन बनाते हुए सघन टीकाकरण की कार्यवाही किया जाना

(6) प्रस्तावित जनपदों के चिन्हित ब्लाकों में ग्राम पंचायतवार माइक्रोप्लान बनाकर रोस्टर एवं रूटचार्ट के अनुसार टीकाकरण किया जाना

(7) टीकाकरण हेतु वैक्सीन की मांग एवं उपलब्धता के लिए डा0 एस.के.अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, मुख्यालय मो0–9839072095 से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या–1787(1)/सैंतीस–2–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।